131

10

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश कन्द्र ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2017 निगरानी R 643-PDR-17

श्री दिनेश आर. शर्मा द्वारा आज दि. 15.2.17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

15.2.17

रामजीलाल पिता शंकरलाल शर्मा,

निवासी–बस स्टेण्ड कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र.

…….आवेदक

---विरूद्ध---

1– लक्ष्मी ट्रेडर्स कालापीपल

2– मदनलाल, मांगीलाल कालापीपल

3– लल्लुराम गोपालदास कालापीपल

4– कृषि उपजमण्डी कालापीपल

5– गंगाप्रसाद कैलाशनारायण

6– तहसीलदार महोदय, कालापीपल जिला शाजापुर

………अनावेदकगण

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय तहसीलदार कालापीपल के प्रकरण क्रमांक 1/अ–12 /16–17 में पारित आदेश दिनांक 28/11/2016 एवम् राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 28/11/2016 से असंतुष्ट एवम् दुखित होकर निम्न कारणों के आधार पुनरीक्षण आवेदन–पत्र अंदर अवधि प्रस्तुत करता है :–

01. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जैर निगरानी विधि एवं विधान के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

02. यह कि, अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बगैर आवेदक की पीठ, पीछे एकपक्षीय रूप से सीमांकन किया गया है तथा वह सीमांकन भी विधिवत् राजस्व निरीक्षक द्वारा नही किया गया हैं । इस कारण सीमांकन प्राथमिक दृष्टि में ही विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

03. यह कि, आवेदक की भूमि सर्व क्रं. 340 आबादी भूमि है तथा आबादी भूमि पर विधिवत ग्राम पंचायत ,द्वारा वर्ष 1989 में आवेदक को 9,300/– रूपयें में दी थी तथा उसके पश्चात् आवेदक ने विधिवत् अनुमति लेकर उस पर निर्माण कार्य किया हैं । वादग्रस्त भूमि के

निरन्तर………2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-643-पीबीआर/17 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	